रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1540] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2014/श्रावण 6, 1936
No. 1540] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2014/SHRAVANA 6, 1936

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2014

का.आ. 1914(अ). —चूंकि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2163(अ) के द्वारा बम विस्फोट के मामलों के विशिष्ट विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य से संपूर्ण तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित अपराधों के विचारण के क्षेत्राधिकार युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था;

तथा चूंकि श्री थिरू वी. रामास्वामी, जिला न्यायाधीश जिन्हें उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु दिनांक 08 नवम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 08 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3406(अ) द्वारा न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो चुका है;

अत: इस कारण केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 08 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3406 (अ) का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश, मद्रास

उच्च न्यायालय की सिफारिश पर श्री थिरू एम. मोनी, सत्र न्यायाधीश, को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करती है।

[फा. सं 17011/50/2009-आई एस-VI (IV) (भाग)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2014

S. O. 1914(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S. O. 2163 (E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Sessions Court for exclusive trial of Bomb Blast cases, Chennai as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Tamil Nadu for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Thiru V. Ramasamy, District Judge, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S. O. 3406 (E), dated 8th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th November, 2013, has been transferred.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act and in supersession of the notification number 3406 (E), dated 8th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th November, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras, hereby appoints Thiru M. Mony, Sessions Judge as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV) (Part)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.